| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 3-8-25 | पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे बहस सुने जाने से पूर्व मौके की वस्तु स्थिति की जानकारी हेतु मौका रिपोर्ट मंगवाना उचित समझते है तहसीलदार बेगू को पत्र जारी कर मौका रिपोर्ट चाही जावे। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट मे दिनांक 27-8-25 को पेश हो। | |
| 27-8-25 | पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे मौका रिपोर्ट प्राप्त नही हुई तहसीलदार बेगू से रिपोर्ट चाही जावे। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट मे दिनांक 9-9-25 को पेश हो। | |
| 9-9-25 | पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे मौका रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है। तहसीलदार बेगू से रिपोर्ट चाही जावे। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट मे दिनांक 16-9-25 को पेश हो। | |
| 16-9-25 | पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे तहसीलदार बेगू से रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है। रिपोर्ट चाही जावे। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट मे दिनांक 24-9-25 को पेश हो। | |
| 24-9-25 | पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे तहसीलदार बेगू से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई प्राप्त रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 29-9-25 को पेश हो। | |
| 29-9-25 | पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस पूर्व मे सुनी गई प्रकरण मे प्रस्तुत प्रा-पत्र आदेश 07 नि-11 जा.दी. का स्वीकार होने से प्रा-पत्र आदेश 177 RTA का खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। | |

# न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
## पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्याः– 26/2020

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ
जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

बनाम

श्री मोहनलाल पिता कूका खटीक
निवासी बेगूँ तह. बेगूँ

प्रार्थना पत्र अ0धा0 177 राज0काश्त0अधि0

उपस्थित :– श्री तहसीलदार बेगूँ
पैरोकार सरकार
श्री विष्णुकुमार चतुर्वेदी
अभिवक्ता विपक्षी

आदेश दिनांक :– 29.09.2025

### आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी

प्रार्थना पत्र पत्रावली में अभिवक्ता विपक्षी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा राजस्व भूमि बताकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

यह कि विपक्षी द्वारा उक्त भूमि को सन 2016 में ही संपरिवर्तन करा ली गई जबकि प्रार्थना पत्र धारा 177 राज.टी.एक्ट सन् 2020 में प्रस्तुत किया गया एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत पूर्व से उक्त भूमि राजस्व भूमि नहीं होने से प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात संपरिवर्तीत हो जाने से कोई वाद कारण पैदा नही होता इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

यह कि न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार का नहीं होने से एवं वाद कारण पैदा नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 177 राज.टी.एक्ट का अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारीज किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

यह कि अन्य कारण वक्त बहस निवेदन किये जावेगें।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारीज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र की प्रति तहसीलदार बेगूँ प्रार्थी पैरोकार सरकार को दी गई जिन्होने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण मे वर्णित भूमि आज दिनांक तक राजस्व भूमि होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान के समुख पेश किया गया है। यह कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार वाद वर्णित आराजीयात का अप्रार्थी द्वारा संपरिवर्तन नहीं करवाया गया है। यदि अप्रार्थी द्वारा सन 2016 में ही उक्त भूमि का संपरिवर्तन करवाया गया है तो किस प्रयोजन करवाया गया तथा अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का वर्तमान में संपरिवर्तन प्रयोजन अनुसार ही उपयोग किया जा रहा है। अतः उक्त भूमि राजस्व भूमि होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है।

यह कि प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि का संपरिवर्तन नहीं होने से वाद कारण उत्पन्न होने से उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 07 नियम 11 सी.पी.सी के तहत प्रस्तुत किया गया है को खारिज फरमाय जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई। अभिवक्ता प्रार्थी (विपक्षी) द्वारा अपनी बहस प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के तहत करते हुए प्रार्थना पत्र 177 आर.टी.एक्ट का खारिज किया जाने का निवेदन किया जबकि पैरोकार तहसीलदार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि राजस्व भूमि होने से ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, पुनः बहस में

अधिवक्ता विपक्षी ने निवेदन किया कि संपरिवर्तन भूमि होने का राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद नहीं होने राजस्व विभाग की भारी भूल है, भूमि वर्तमान में संपरिवर्तन भूमि है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम लागू नहीं होते है।
प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 के तहत खारीज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट भी तलब की गई जिसमें पाया कि ग्राम काटून्दा की वर्तमान जमाबंदी अनुसार आराजी नं. 2663/2533 रकबा 0.2670 है. व्यवसायिक व आराजी नं. 2533/2036 रकबा 0.1742 है. किस्म बंजड एवं आराजी स. 2413/1255 रकबा 0.1588 किस्म आबादी किता 03 कुल रकबा 0.6000 हैक्टर भूमि श्री मोहनलाल पिता कूका खटीक हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा. बेंगूं खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड होकर उक्त खाते पर बैंक ऑफ बडौदा शाखा बेंगू का रहन दर्ज है। मौके पर आराजी स. 2663/2533 व2533/2036 एवं2413/1256 किता 03 रकबा 0.6000 है. भूमि बेंगू– काटून्दा सडक से लगती हुई है। मौके पर खाली होकर पडत है। रिपोर्ट में भूमि रूपांतरण सम्बन्धी दस्तावेज उपलब्ध कराया गया है जिसका अवलोकन किये जाने पर पाया कि उक्त नवीन आराजी स. 2533/2036(साबिक आ.स. 2036/1255/1मी.) का संपरिवर्तन आदेश श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चित्तौडगढ के पत्र कमांक/राजस्व/कृ.भू.रू./6/12/1892 दिनांक 09.12.2013 मे भूमि का संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया है।

इस प्रकार प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व संपरिवर्तन आदेश के अवलोकन से पाया कि इस/न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0धा0 177 राज0काश्त0अधि0 का पेश किया गया है जो कि मौजा काटून्दा की आराजी संख्या 2663/2533 रकबा 0.2670 है. व्यवसायिक व आराजी नं. 2533/2036 रकबा 0.1742 है. किस्म बंजड एवं आराजी स. 2413/1255 रकबा 0.1588 किस्म आबादी किता 03 कुल रकबा 0.6000 हैक्टर भूमि के लिए पेश किया है यह प्रार्थना पत्र वर्ष 2020 में इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो अधिनस्थ तहसीलदार बेगूं के द्वारा प्रस्तुत किया है जबकि नवीन आराजी स. 2533/2036(साबिक आ.स.2036/1255/1मी.) का संपरिवर्तन आदेश श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चित्तौडगढ के पत्र कमांक/राजस्व/कृ.भू.रू./6/12/1892 दिनांक 09.12.2013 मे भूमि का संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि कृषि भूमि नही होकर आवासीय संपरिवर्तित भूमि होने से प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि पर राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। प्रार्थी (विपक्षी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र विपक्षी अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाता है। न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना की भूमि कृषि भूमि न होकर आवासी रूपान्तरित भूमि होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज0काश्त0अधि0 का एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं